

कार्यालय :- जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिंदवाडा (म0प्र0)

क्रमांक—Q-50 / जि0न्या0छिं0 / 2020

छिंदवाडा दिनांक 16.04.2021

विविध आदेश

(आज दिनांक 16.04.2021 को पारित)

छिंदवाडा जिले में कोविड-19 के संक्रमितों की संख्या में वृद्धि को देखते हुये म.प्र. शासन द्वारा जारी निर्देशों के पालन में जिला दण्डाधिकारी, छिंदवाडा ने आदेश दिनांक 15.04.2021 के द्वारा संपूर्ण छिंदवाडा जिले में दिनांक 16.04.2021 की प्रातः 6.00 बजे से 19.04.2021 के प्रातः 6.00 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन लगाया है। छिंदवाडा न्यायालय में न्यायिक अधिकारी, कर्मचारीगण व अधिवक्तागण अधिक संख्या में कोराना वायरस से संक्रमित या कोरेन्टीन हैं। ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के एस.ओ.पी. क्रमांक—ए/113, दिनांक 15.01.2021 एवं क्र. —ए/149, दिनांक 03.04.2021 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं बी.पी. शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिंदवाडा, कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिये दिनांक 19.04.2021 से 23.04.2021 के लिये जिला मुख्यालय एवं उसकी समस्त तहसीलों के सिविल न्यायालयों में कार्य के लिये निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी करता हूँ :-

- 1- उक्त अवधि में जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश/समस्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय के न्यायालयों में न्यायिक कार्य सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक तथा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1/व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के न्यायालयों में न्यायिक कार्य दोपहर 2 से 5 बजे तक होगा।
- 2- समस्त न्यायालयों एवं अनुभागों में कर्मचारियों की उपस्थिति 25 प्रतिशत तक आवश्यकता अनुसार सुनिश्चित की जाये। उपस्थित किये जाने वाले कर्मचारियों का निर्धारण संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- 3- जिन कर्मचारियों की ड्यूटी उक्त अवधि में न्यायालय/अनुभाग में नियत न हो वे अपने आवास पर रहकर मोबाइल चालू रखेंगे, आवश्यकता पड़ने पर उन्हें संबंधित पीठासीन अधिकारी/प्रभारी अधिकारी द्वारा बुलाया जा सकता है साथ ही कोई भी कर्मचारी/अधिकारी बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर नहीं जायेंगे।
- 4- उक्त अवधि में यथासंभव समस्त अर्जेंट प्रकृति के मामलों की सुनवाई व्ही.सी. के माध्यम से की जायेगी। पक्षकार/अधिवक्तागण जमानत व अन्य आवेदन पत्र ई-मेल आई.डी royalamit21@gmail.com पर भेज सकेंगे। ई-मेल करने अथवा व्ही.सी. के माध्यम से सुनवाई में समस्या उत्पन्न होने पर सिस्टम ऑफिसर श्री अमित बावने मोबाइल नंबर 9425871458 एवं 9424949804 (डी.एस.ए) पर संपर्क करें।
- 5- उक्त अवधि के लिये समस्त न्यायालयों जिनमें तहसील न्यायालय भी शामिल हैं, के प्रकरण सुनवायी हेतु निम्नानुसार आगामी नियत तिथियों पर लिये जायेंगे :-

क्र0	नियत तिथि	आगामी तिथि
1-	19.04.2021	12.05.2021
2-	20.04.2021	13.05.2021
3-	22.04.2021	17.05.2021
4-	23.04.2021	18.05.2021
5-	24.04.2021	19.05.2021


यदि पीठासीन अधिकारी किसी प्रकरण को सुनवायी हेतु उपरोक्त तिथियों के अतिरिक्त किसी अन्य दिन नियत करना चाहे तो संबंधित पक्षकार/अधिवक्ता को उसकी सूचना दें।

- 6- म0प्र0शासन के आदेश क्रमांक एफ-तीन-4/2010/1/4 भोपाल, दिनांक 08 अप्रैल 2021 के अनुसरण में शनिवार दिनांक 24.04.2021 को समस्त न्यायालयों जिसमें परिवार न्यायालय भी शामिल हैं, का न्यायिक कार्य स्थगित रहेगा। इस दिन अर्जेंट प्रकृति के मामलों की सुनवाई 3 से 5 बजे तक की जायेगी, जिसके संबंध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पृथक से आदेश जारी करेंगे।
- 7- ऐसे सिविल व आपराधिक मामले जिनमें माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में निराकरण के आदेश दिये गये हैं, ऐसे प्रकरणों में संबंधित पीठासीन अधिकारी आदेश के पालन में प्रकरण की सुनवायी करेंगे।

8- ऐसे अर्जेंट प्रकृति के सिविल व आपराधिक मामले जिनकी सुनवायी तत्काल किया जाना आवश्यक हो, ऐसे मामलों की सुनवायी संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा की जायेगी।

9- कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिये माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर एवं इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्र.-Q-47 दिनांक 27.03.2021 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।


यह आदेश दिनांक 19.04.2021 से 24.04.2021 के लिये प्रभावशील रहेगा। तत्पश्चात् न्यायालयों में प्रकरणों की सुनवाई इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्र.-Q-47 दिनांक 27.03.2021 अनुसार की जावेगी।



(बी०पी० शर्मा)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
छिन्दवाड़ा

प्रतिलिपि:-

- 1- निज सचिव, माननीय पोर्टफोलियो जज, उच्च न्यायालय, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- माननीय रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, जिला छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- अध्यक्ष, तहसील अधिवक्ता संघ, तहसील- सौंसर, पांडुर्णा, अमरवाड़ा, चौरई, परासिया, जुन्नारदेव, हरई, तामिया की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- समस्त न्यायिक अधिकारीगण, छिंदवाड़ा, सौंसर, पांडुर्णा, अमरवाड़ा, चौरई, परासिया, जुन्नारदेव, हरई, तामिया, सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण एवं प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, छिंदवाड़ा की ओर संदर्भित ज्ञापन की प्रति सहित सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 6- पुलिस अधीक्षक, छिंदवाड़ा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे समस्त आरक्षी केंद्र प्रभारियों को सूचना प्रेषित करें।
- 7- जेल अधीक्षक, छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 8- जिला अभियोजन अधिकारी एवं लोक अभियोजक, छिंदवाड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।
- 9- प्रभारी अधिकारी/सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय छिंदवाड़ा की ओर सभी न्यायिक अधिकारीगण को ई-मेल से सूचित किये जाने एवं जिला न्यायालय की वेब-साईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
- 10- प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग छिंदवाड़ा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि न्यायालय परिसर के मुख्य द्वारों पर संलग्न नोटिस चस्पा किये जाने हेतु।
- 11- कोविड-19 के बचाव हेतु गठित कमेटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 12- कार्यालय जन सम्पर्क अधिकारी, छिंदवाड़ा की ओर सभी दैनिक समाचार पत्रों में उपरोक्तानुसार समाचार प्रकाशित कराये जाने हेतु प्रेषित।



(बी०पी० शर्मा)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
छिन्दवाड़ा